भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3899

दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पैकेज

3899. श्री अरविंद सावंतः

श्री रवनीत सिंहः

श्री विनोद कुमार सोनकरः

डॉ. ममताज़ संघमिताः

श्री के. परसुरमनः

श्री राहुल कस्वांः

श्री आर. पार्थिपनः

श्री कृपाल बालाजी तुमानेः

श्री बी.एस. येदियुरप्पाः

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ः

श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवलीः

श्री सुमेधानंद सरस्वतीः

डॉ. ए. सम्पतः

श्रीमती संतोष अहलावतः

श्री दुष्यंत चौटालाः

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या रहे;

(ग) समीक्षा के दौरान क्या कमियां पायी गयीं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उद्यमियों के लिए किसी विशेष पैकेज की भी घोषणा की है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने/ और अधिक उद्योग लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

<u>उत्तर</u>

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): भारत सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप राज्यों के संसाधनों के बढ़े हुए आंवटन की दृष्टि से केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) को 01.04.2015 से केंद्र सरकार की सहायता से अलग कर दिया है । हालांकि, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 08 फरवरी, 2015 को हुई नीति आयोग की शासी परिषद की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के युक्तियुक्तकरण के बारे में दिनांक 09 मार्च, 2015 को मुख्यमंत्रियों के एक उप-समूह का गठन किया गया था । नीति आयोग द्वारा प्रचालित की गई मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) को केंद्र तथा राज्यों के बीच 50:50; केंद्र तथा 8 पूर्वोत्तर एवं 3 हिमालयी राज्यों के बीच 80:20 और केंद्र से संघ राज्य क्षेत्रों को 100% के निधि सहभाजन के पैटर्न के साथ एक वैकल्पिक स्कीम के रूप में रखा गया है ।

(ग): विचार-विमर्श के दौरान, उप-समूह ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से सुझाव मांगे थे । राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों में सीएसएस के दिशानिर्देश तैयार करना, फ्लैक्सी निधि में वृद्धि समेत लचीलापन प्रदान करना, निगरानी तथा सीएसएस में राज्यों की अधिक भूमिका शामिल हैं । राज्य सरकारों के सुझावों को उप-समूह के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था । उप-समूह ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर, 2015 में प्रस्तुत कर दी है । वित्त मंत्रालय ने उप-समूह की रिपोर्ट पर विचार किया है तथा केंद्र तथा राज्यों के बीच 50:50; केंद्र तथा 8 पूर्वोत्तर एवं 3 हिमालयी राज्यों के बीच 80:20 और केंद्र से संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% के निधि सहभाजन पैटर्न के साथ राज्य सरकारों के लिए वैकल्पिक एनएमएफपी समेत 19 स्कीमों को निश्चित किया है । प्रस्तावित वित्त-पोषण के पैटर्न पर एनएमएफपी के कार्यान्वयन का विकल्प राज्य सरकारों के पास है ।

(घ) और (ड.): अभिहित खाद्य पार्कों और ऐसे पार्कों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को वहनीय ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपए का विशेष कोष स्थापित किया गया है । प्रति उधारकर्ता तथा शीतागार यूनिटों तथा कृषि उपज/उत्पादों को भंडारित करने के लिए डिजाइन की गई शीतागार श्रृंखला सहित शीतागार सुविधाओं (मालगोदाम, बाजार परिसर, गोदाम और सीलोस) के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की समग्र स्वीकृत सीमा तक खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण के लिए ऋण को प्राथमिकता क्षेत्र उधारी के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

*****